01/2017 हरिसिंह v/s ग्रा.प. सिणधरी चौ.

2.6.17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार मे अटल सेवा केन्द्र सिणधरी चौसिरा मे पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। उतरदाता स.1 व 3 उपस्थित। उतरदातागण को जारी नोटिस शामिल मिसल हो। उतरदाता स.2 बावजुद सुचना अनुपस्थित। उतरदाता स.1 व 3 की ओर से जबाव पेश किया गया। जो शामिल मिसल हो। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलाण्ट ने कथन किया कि,ग्राम सिणधरी चौसिरा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 34 रकबा 25–07 बीधा भूमि आई हुई थी। विवादित भूमि के सहखातेदार अपीलाण्ट के पिता नरसिंगा के फोत होने पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण स.17 मे अपीलाण्ट का सही नाम हरीसिह के स्थान पर गलत नाम मनुश दायर किया गया। जो आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड मे उक्त प्रविष्टि चली आ रही है। जबकी अपीलाण्ट का वास्तविक नाम हरीसिह वल्द नरसिंगा है। अतःअपीलाण्ट का सही नाम हरीसिह वल्द नरसिंगा दायर किया जावे।

उतरदाता स.1 व 3 ने अपनी अपनी बहस मे कथन किया कि विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड मे अपीलाण्ट का नाम गलत इन्द्राज हो रखा है। जो अपीलाण्ट अपना सही नाम हरीसिह दायर करने का हकदार है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजो एव तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम सिणधरी चौसिरा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 34 रकबा 25–07 बीधा भूमि के सहखातेदार नरसिगां के फोत होने पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण स.17 मे अपीलाण्ट का नाम मनुश दायर किया गया। जबकि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम हरीसिह है। लेकिन तत्समय नामान्तकरण भरने के दौराने हरीसिह के स्थान पर मनुश दायर किया गया। जो गलत नाम दायर किया गया है। तहसीलदार सिणधरी एवं ग्राम पंचायत सिणधरी चौसिरा जरिये सरपंच ने अपने अपने जबाव व बहस मे स्वीकार किया है,कि विवादित भूमि मे अपीलाण्ट का गलत नाम मनुश का इन्द्राज हो रखा है। जबकि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम हरीसिह है। इससे साबित होता है। कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम हरीसिह है। और वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अपीलाण्ट का अशुद्ध

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

नाम दायर हो रखा है। इस प्रकार अपीलाण्ट अपना सही नाम हरीसिह दायर करवाने का हकदार है। एवं पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजी साक्ष्य यथा–भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड प्रति,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर कार्ड प्रति,परिवार राशनकार्ड प्रति,शिक्षा विभाग द्वारा जारी जारी पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा दिनांक 12.8.95 की प्रति मे हरीसिह नाम का इन्द्राज है।इससे भी साबित होता है। कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम हरीसिह है। एवं मजमे आम मे भी पुछताछ करने पर अपीलाण्ट का वास्तविक नाम हरीसिहह वल्द नरसिंगा होना पाया गया है।

लिहाजा अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद स्वीकार करते हुए ग्राम सिणधरी चौसिरा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 34 रकबा 25–07 बीधा भूमि के राजस्व रिकार्ड(जमाबंदी) मे **अंकित गलत प्रविष्टि मनुश वल्द नरसींगा के स्थान पर सही नाम हरीसिह वल्द नरसींगा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।** शेष बदुस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे। किसी सरकारी संस्था/ गैर सरकारी संस्था से किसी प्रकार का ऋण इत्यादि बकाया होने पर अपीलांट द्वारा वहन किया जावेगा। आदेश मजमे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी
02/6/12